न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 265/2018/225 आर टी ए

सरजीतसिंह उर्फ जीतसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. जसविन्द्रसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. जोगेन्द्रसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सुखजीतकौर पत्नि सरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20.07.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़
प्र0सं0 79/2018 बअनवानी जसविन्द्रसिंह आदि बनाम सरजीतसिंह

उपस्थित :–
श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4

निर्णय दिनांकः–07.09.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि मे प.न. 161/292 कि.न. 5 मे उत्तर से दक्षिण 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने अनुतोष चाहा जिसमे अप्रार्थी अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत करते हुए तथ्यों से इन्कार करते हुए कथन किया कि चक 7 एसएसडब्ल्यू के प.न. 161/292 कि.न. 5,4,3,2,1 मे रास्ता स्वीकृत है कि.न. 1 व 2 अन्य काश्तकार है। जिस कि.न. 5 मे से रेस्पो0 अपनी भूमि के लिए रास्ता चालू होना बतला रहे है वहां कोई रास्ता चालू नही है बल्कि अपीलांट के कि.न. 5 व रेस्पो0 के कि.न. 6 एवं इनसे आगे के किलो मे सिंचाई विभाग द्वारा पक्के खाले का निर्माण किया हुआ है कि.न. 5 मे अपीलांट की भूमि के लिए नक्का स्वीकृत है एवं उसने अपनी अन्य भूमि के लिए पाईप भी कि.न. 5 मे लगायी हुई है इसलिये कि.न. 5 मे से रास्ता दिया जाना उचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की मार्फत पटवारी हल्का व गिरदावर

से रिपोर्ट मांगी जाकर अपीलांट की भूमि चक 7 एसएसडब्ल्यू के प.न. 161/292 के कि.न. 5 मे रास्ता स्वीकृत कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय का निर्णय कतई गलत एवं मात्र पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार मानकर पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। जब अदालत के समक्ष यह तथ्य आ चुका था कि जिस रास्ता की मांग रेस्पो0 कर रहे है उस किला नं. 5 मे सिंचाई विभाग द्वारा पक्का खाले का निर्माण किया हुआ है और अपीलांट का नक्का मंजूर है एवं अपीलांट ने बेहतर सिंचाई हेतु पाईप लगायी हुई है और खाला के साथ साथ रास्ता दिये जाने से पानी तोड़ने व सिंचाई आदि असुविधा होगी और भविष्य मे पक्षकारान मे लड़ाई झगडें का अन्देशा सदैव बना रहेगा इन परिस्थितियों को व्यवहारिक रूप से समझे बिना अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। बहस के दौरान ही अपीलांट ने रेस्पो0 की आवश्यकता को देखते हुए और अपनी उदारता दिखाते हुए यह विकल्प दिया था कि रेस्पो0 चाहे तो अपीलांट की भूमि प.न. 161/292 के कि.न. 3, 8 मे उतर से दक्षिण व किला नं. 8 मे से ही पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ता स्वीकृत करवा लेवे और अपने कि.न. 7 मे प्रवेश करें। इसके अलावा दूसरा विकल्प यह दिया गया था कि रेस्पो0 चाहे तो अपीलांट के कि.न. 8 की 15 बिस्वा भूमि स्वयं लेकर इसके बदले मे रेस्पो0 अपने कब्जे की भूमि कि.न. 6, 7, 8 मे 15 बिस्वा भूमि की पूर्ति कर देवें उस सूरत मे रेस्पो0 को मात्र किला नं. 3 मे से ही रास्ता स्वीकृत करवाना होगा जिस हेतु अपीलांट तैयार है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा दिये गये इन विकल्पों की ओर कोई ध्यान नही दिया और रेस्पो0 को नाजायज लाभ पहुंचाने के आशय से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कतई गलत व आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि चक 7 एसएसडब्ल्यू के प. न. 161/292 मु.न. 16 के कि.न. 6, 7, 8 की कुल 0.759 है0 है। उक्त भूमि के चिपते ही अपीलांट के नाम से चक 7 एसएसडब्ल्यू मे 4.491 है0 भूमि है उक्त भूमि के प.न. 161/392 मु.न. 16 के कि.न. 3, 4, 5 मे दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृतशुदा है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

व रेस्पो0 उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर प.न. 161/392 के मु.न. 16 के कि.न. 5 मे उतर से दक्षिण दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। न्याय आपके द्वार कैम्प दिनांक मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण करने हेतु तहसीलदार को आदेश दिया गया जिस पर दिनांक 30.06.2018 को तहसीलदार द्वारा पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तावित रास्ता के अलावा प.न. 161/292 मु.न. 16 कि.न. 3, 8 के पश्चिम दिशा व कि.न. 8 मे दक्षिण दिशा अर्थात तीन बीघा जो रास्ता देने सहमति प्रदान की गई जिससे यह साबित हो जाता है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 को अपनी खातेदारी भूमि के लिए कोई रास्ता नही है। अधीनस्थ न्यायालय वैकल्पिक रास्ता दिया जाना उचित नही मानते हुए प्रस्तावित रास्ता को स्वीकृत किया गया जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) आरटीए प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिये अप्रार्थी/अपीलांट की भूमि चक 7 एसएसडब्ल्यू के प.न. 161/392 के मु.न. 16 के कि.न. 5 मे उतर से दक्षिण दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। न्याय आपके द्वार कैम्प दिनांक मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण करने हेतु तहसीलदार को आदेश दिया गया जिस पर दिनांक 30.06.2018 को तहसीलदार द्वारा पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया। अपीलाधीन आदेश के संबंध मे अपीलांटस का मुख्य तर्क यह है कि '' रेस्पो0 गांव झाम्बर से स्वीकृत रास्ता से होते हुए प.न. 162/300 व प.न. 161/300 प्रत्येक के कि.न. 1 ता 5 मे स्वीकृत व चालू रास्ता से होकर प.न. 161/300 कि.न. 3, 8, 13 मे से होकर अपनी भूमि मे आवागमन कर रहे है और अपनी भूमि काश्त करते है। यह भूमि रेस्पो0 के परिवार वालो की है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 आरम्भ से ही इसी रास्ता से अपनी भूमि मे आवागमन

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

कर रहे है रेस्पो0 के रकबा के लिये सबसे छोटा व सुगम रास्ता यही है। प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित नही है क्योंकि उक्त प्रस्तावित रास्ता कि.न. 5 मे सिंचाई विभाग द्वारा पक्के खाले का निर्माण किया हुआ है। रेस्पो0 की भूमि पूर्व मे संयुक्त खाता मे थी व उसी मे रास्ता स्वीकृत किया जावे।

6. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने उक्त तथ्यों के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। जबकि तहसीलदार की रास्ते बाबत मौका निरीक्षण रिपोर्ट मय नक्शा के अनुसार रेस्पो0 को अपनी भूमि मे जाने हेतु कोई रास्ता नही है एवं रास्ता दिया जाना उचित है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश तथा प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी पदमपुर स्वयं द्वारा किये गये मौके निरीक्षण से यह साबित होता है कि रेस्पो0/प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रकरण मे पूर्व मे तहसीलदार से रास्ता के संबंध मे मौका रिपोर्ट मंगवाई उसके पश्चात कैम्प कोर्ट अभियान के दौरान पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाई गई तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश से उचित रास्ता स्वीकृत किया है। हस्तगत प्रकरण मे रास्ते मे प्रयुक्त भूमि क्षेत्र के मुआवजे के संबंध मे बराबर क्षेत्र की भूमि दिया जाना संभव होने की स्थिति मे चिपती हुई भूमि दिये जाने के आदेश किया है एवं रास्ता के संबंध मे तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है और रेस्पो0 को रास्ता की परम आवश्यकता को देखते हुए रास्ता दिया जाना उचित होना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि प्रकट नही होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना उचित नही से अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 20.07.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official